न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी-832-एक/17 विरुद्ध आदेश दिनांक 19.01.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 327/2015-16/अपील

अरविंद पुत्र राधारमण जाति ब्राम्हण
निवासी ग्राम थरा तह0 अम्बाह जिला मुरैना (म.प्र) .....**आवेदक**

विरुद्ध

अशोक पुत्र बांकेलाल जाति ब्राम्हण
निवासी ग्राम थरा तह0 अम्बाह जिला मुरैना (म.प्र) .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस. कम्ठान
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव

आदेश

(आज दिनांक 4/10/18 **को पारित)**

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 327/**अपील**/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-**राजस्व** संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश **की गई** है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम थरा तह0 अम्बाह **जिला मुरैना** स्थित भूमि खाता 53 का सर्वे क्रमांक 914 रकवा 0.24 आरे के **बंटवारा** हेतु अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। **जिस** पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर अपने आदेश दिनांक 26.05.2012 द्वारा बंटवारा स्वीकार किया। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा **अनुविभागीय** अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 21.08.2012 द्वारा निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के **विरुद्ध** आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील **पेश की** गई जो उनके आदेश दिनांक 17.01.2013 द्वारा स्वीकार की जाकर दोनों **अधीनस्थ** न्यायालयों के आदेश निरस्त किए। जिसके विरुद्ध अनावेदक द्वारा

राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 11.05.2015 द्वारा निरस्त की गई। तत्पश्चात अनावेदक द्वारा उक्त् विवादित भूमि के बंटवारा हेतु पुनः आवेदन तहसीलदार अम्बाह के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जो उनके आदेश दिनांक 27.02.2016 द्वारा बंटवारा स्वीकार किया गया। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 18.07.2016 द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार अम्बाह द्वारा पारित आदेश निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 19.01.2017 द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि दिनांक 06.02.2016 को प्रकरण मौके पर लिया जाकर विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौके पर उभयपक्ष की उपस्थिति में विवादित भूमि का मौका मुआयना किया गया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्तनीय है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब यह मान्य किया कि विचारण न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है तब अधीनस्थ न्यायालय को स्वयं फर्द बंटवारा मंगाया जाना चाहिए तथा मौके पर स्वयं जाकर मौके का मुआयना कर स्वयं बंटवारा आदेश पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग न कर पृथक के बंटवारा आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देने में गम्भीर भूल की है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध होकर निरस्तनीय है।

4/ अनावेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व का आदेश निरस्त होने के पश्चात भी आदेश दिनांक 27.02.2016 में उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति की गई है। तथा फर्द पर बुलाई गई आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया गया है और ना ही आपत्तियों के संबंध में कोई निष्कर्ष अपने आदेश में दिया गया है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है

तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 11-5-2015 में उन्हें दिए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही नहीं की गई है। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, उनका आदेश भी त्रुटिपूर्ण है, क्यों कि उनके द्वारा केवल विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है परंतु बंटवारे के प्रश्न पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया है जबकि उन्हें प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाते स्वयं साक्ष्य आदि लेकर बंटवारा आदेश पारित करना चाहिए था। अत: इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, उनका आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त बिन्दुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण पुन: संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही कर निर्णय हेतु तहसील न्यायलय को प्रत्यावर्तित किया जाए।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में बंटवारे की कायवाही विधिवत करें।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर